संख्या-142 /x-2-2010-12(13)/2010

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 18 मई, 2010

विषयः-अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की राज्य सेक्टर योजना "वनों की अग्नि से सुरक्षा" के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010 के क्रम में फायर सीजन होने तथा वनाग्नि की बढ़ती घटना को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के आयोजनागत पक्ष में संचालित राज्य सेक्टर योजना **"वनों की अग्नि से सुरक्षा"** हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में रू0 67,10,000/-(रू0 सडसठ लाख दस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
2. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय.
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निर्वतन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो.
4. आहरण-वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
5. अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग(त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
6. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारिख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.
7. व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय. इस सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय.
8. जो निर्माण कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं, के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण वित्त विभाग के शासनादेश-485/XXVII(1)/2009, दिनांक 16 जुलाई, 2009 द्वारा निर्धारित किये गये प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर प्रशासकीय विभाग, नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
9. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

क्रमशः.....2

10. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
11. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा तथा व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
13. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.
14. निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुवल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.
15. विभागाध्यक्ष द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में तथा हर माह की 10 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्र सहायतित/बाह्य सहायतित योजनाओं में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराएंगे. उक्त सूचना के अभाव में वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी. केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अवशेष धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा.
16. जिन योजनाओं में विगत वर्षों की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो इनके परिप्रेक्ष्य में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष होगा. भारत सरकार को समय से ऑडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रस्तुत किये जायं, ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 03-**"वनों की अग्नि से सुरक्षा"** योजना हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित संगत मदों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि रू0 हजार में)

क्र.सं.	लेखाशीर्षक / योजना का नाम / मानक मद	आय-व्ययक प्रावधान	वर्तमान स्वीकृति
	03-वनों की अग्नि से सुरक्षा (राज्य सेक्टर)		
1	13-टेलीफोन पर व्यय	500	200
2	14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	1000	0
3	15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1000	400
4	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100	40
5	24-वृहत निर्माण कार्य	8000	3200
6	25-लघु निर्माण कार्य	1	0
7	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3000	1200
8	29-अनुरक्षण	3000	1200
9	42-अन्य व्यय	500	200
10	44-प्रशिक्षण व्यय	250	100
11	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	400	160
12	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	25	10
	योग	**17776**	**6710**

(रू0 सडसठ लाख दस हजार मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के अशासनादेश सं0- 31(P)/XXVII(1)/2010, दिनांक 10 मई, 2010 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति सें जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

क्रमशः.....3

संख्या- 142 (1)/X-2-2010, तद्दिनांकत.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. वित्त नियंत्रक, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
7. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन.
8. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन.
9. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल.
10. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
11. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
12. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
13. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव